"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 390] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2013—भाद्र 8, शक 1935

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2013

आदेश

क्रमांक/एफ 15-42/15-02/2012/2427.—प्रदेश में दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर एवं 12 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पंजीकृत है. इन बैंकों की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब होने एवं हानि में वृद्धि होने के कारण बैंक दीर्घकालीन कृषि ऋण व्यवसाय करने में सक्षम नहीं है: अतः यह समाधान हो गया है कि, लोक हित में उपरोक्त बैंकों का संविलियन अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर एवं 07 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में किया जाए. इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16-ग के प्रावधान के अनुसार वांछित अनुमति प्राप्त कर ली गई है.

अतः राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पुनर्गठन हेतु "दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के संविलियन की योजना, 2013" जारी करता है, योजना का क्रियान्वयन किया जाए.

संलग्न :— संविलियन की योजना, 2013

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, उप-सचिव.

दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के संविलियन की योजना, 2013

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :—**

(1) यह योजना "दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के संविलियन की योजना, 2013" कहलाएगी.

(2) यह योजना, छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावशील होगी.

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा तक होगा.

2. **परिभाषाएं :**—जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो.

(1) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961).

(2) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962.

(3) "संविलियन" से अभिप्रेत है, इस योजना के अधीन दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना का संविलियन.

(4) "दीर्घकालीन सहकारी साख सरचना" से अभिप्रेत है—

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर.
(ii) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर.
(iii) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, धमतरी.
(iv) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, महासमुन्द.
(v) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, दुर्ग.
(vi) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, राजनांदगांव.
(vii) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, कवर्धा.
(viii) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, जगदलपुर.
(ix) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, कांकेर.
(x) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, बिलासपुर.
(xi) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, जांजगीर-चांपा.
(xii) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अंबिकापुर.
(xiii) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायगढ़.

(5) "अल्पकालीन सहकारी साख संरचना" से अभिप्रेत है—

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर.
(ii) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर.
(iii) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग.
(iv) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव.
(v) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर.
(vi) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर.
(vii) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अंबिकापुर.
(viii) नवीन पंजीकृत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जशपुर.

(6) "परिणामी बैंक" से अभिप्रेत है, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित वे बैंक जिनमें दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित बैंकों का विलय किया जाएगा.

(7) "प्रभावित बैंक" से अभिप्रेत है, दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित वे बैंक जिनका विलय अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के बैंकों में किया जाएगा.

(8) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अधीन नियुक्ति रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हों.

3. **संविलियन की रीति :—** दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित बैंकों का संविलियन अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित बैंकों का नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार संविलियन कर पुनर्गठन किया जाएगा.

क्र.	प्रभावित बैंक	परिणामी बैंक
1.	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर.	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर.
2.	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायगढ़.	नवीन पंजीकृत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जशपुर.
3.	(i) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, रायपुर. (ii) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, धमतरी. (iii) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, महासमुन्द.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर
4.	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, दुर्ग.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग
5.	(i) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, राजनांदगांव. (ii) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, कवर्धा.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव
6.	(i) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, जगदलपुर. (ii) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, कांकेर.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर
7.	(i) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, बिलासपुर. (ii) जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, जांजगीर-चांपा.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर
8.	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, अंबिकापुर.	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अंबिकापुर

4. **संविलियन की प्रक्रिया :—**

(1) इस संविलियन योजना के जारी होने की तारीख से 15 दिवस की समयावधि में विद्यमान परिणामी व प्रभावित बैंक के द्वारा अथवा कोई हितबद्ध पक्षकार आपत्तियां अथवा सुझाव रजिस्ट्रार को प्रस्तुत कर सकेगा.

(2) प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को अपने अभिमत के साथ रजिस्ट्रार राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत करेगा, इस पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा.

(3) राज्य शासन संविलियन स्कीम को ऐसे उपान्तरणों सहित जैसा कि वह उचित समझे, अनन्तिम रूप से अभिप्रमाणित करेगा.

(4) रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित संविलियन की तिथि पर सभी दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित बैंकों का विशेष संपरीक्षा कराया जावेगा, जिससे कि वास्तविक वित्तीय स्थिति, प्रावधान में कमी एवं हानि को ज्ञात किया जा सके.

(5) दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित बैंकों के विशेष संपरीक्षा के लिए रजिस्ट्रार द्वारा संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म्स का निर्धारण किया जाएगा.

(6) दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित बैंकों के विशेष अंकेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के निर्देशों एवं मानदण्ड के अनुसार किया जावेगा.

(7) विशेष संपरीक्षा के द्वारा प्रभावित बैंकों एवं परिणामी बैंकों के संविलियन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक एवं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के निर्देशों एवं मानदण्डों के अनुसार आंकलित की गई राशि, प्रावधान में कमी एवं संचित हानि को पूर्ण रूप से समाप्त करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त राशि की मांग राज्य शासन से की जावेगी.

(8) प्रभावित बैंक का पक्षकार के रूप में कोई वैधानिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में या प्राधिकारी के समक्ष लंबित हो तो संविलियन के पश्चात् परिणामी बैंक उसका पक्षकार होगा. प्रभावित बैंकों के पक्ष या विपक्ष में हुए न्यायालयीन आदेशों का पालन/निष्पादन/अपील आदि परिणामी बैंक द्वारा किया जाएगा.

(9) परिणामी बैंकों को वे समस्त शक्तियां भी होगी जो संविलियन के पूर्व प्रभावित बैंकों को थी.

5. **सदस्यता :—** जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के सदस्यों की सदस्यता उस बैंक से समाप्त हो जायेगी और ऐसे सदस्य जो उस बैंक के बकायादार होंगे, संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के नाम मात्र के सदस्य बन जायेंगे, परंतु जो सदस्य बकायादार नहीं होंगे उनकी अंश राशि संविलियन का आदेश जारी होने के पश्चात् तीन माह की समयावधि में वापस कर दी जाएगी एवं जिसकी अंश राशि की वापसी संभव नहीं होगी, वह राशि सस्पेंस खाते में जमा की जाएगी. बकायादार सदस्यों की अंश राशि उसके ऋण खाते में समायोजित की जाएगी.

6. **रजिस्ट्रीकरण :—**

(1) संविलियन के पश्चात् दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित सभी बैंकों का पंजीयन रजिस्ट्रार द्वारा रद्द किया जाएगा.

(2) विद्यमान अल्पकालीन सहकारी साख संरचना से संबंधित बैंकों की उपविधियां आवश्यक उपान्तरणों सहित जैसा कि रजिस्ट्रार विनिश्चय करें, परिणामी बैंकों के लिए प्रभावी होगी.

7. **प्रबंध :—**

(1) प्रभावित बैंकों के पदाधिकारी तथा बोर्ड के सदस्यों के पद रिक्त हो जाएंगे.

(2) परिणामी बैंकों का विद्यमान बोर्ड अपने निर्धारित कालावधि पूर्ण होने तक कार्यरत रहेगा.

(3) परिणामी बैंकों का प्रतिनिधित्व विद्यमान प्रतिनिधि तब तक करते रहेंगे जब तक की नये प्रतिनिधि का निर्वाचन न हो जाए.

8. **आस्तियां और दायित्व :—** प्रभावित बैंकों की आस्तियां और दायित्व परिणामी बैंकों की आस्तियां और दायित्व में पूर्णतः अंतरित हो जाएगी.

9. **भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन :**— राज्य शासन के द्वारा प्रस्तावित "दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के संविलियन" के प्रस्ताव पर भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र क्रमांक RPCD. CO. RCB. No. 12975/07.51.032/ 2012-13 दिनांक 04 जून, 2013 द्वारा अनुमोदन निम्नानुसार प्राप्त है :—

इस संबंध में हमारी सलाह है कि, राज्य शासन की समस्त वित्तीय देयताओं को पूरा करने की वचनबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए एवं वैधानिक व प्रशासनिक आवश्यकताओं का भी अनुपालन करते हुए हम छत्तीसगढ़ राज्य में दीर्घकालीन ग्रामीण सहकारी साख संरचना का अल्पकालीन ग्रामीण सहकारी साख संरचना में विलय के प्रस्ताव को अनुमोदित करते हैं. उक्त अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा—

(1) राज्य शासन विलय के समय सम्पूर्ण प्रतिबद्ध राशि रु. 150 करोड़ उपलब्ध कराएगा.

(2) विलय की तारीख पर समस्त संबंधित अस्तित्वों (प्रभावित एवं परिणामी बैंक) का विशेष संपरीक्षा कराया जाएगा, जिससे कि, वास्तविक वित्तीय स्थिति, हानि एवं प्रावधान में कमी की जानकारी हो.

(3) विशेष संपरीक्षा पर संविलिनीकृत आस्तित्वों की संचित हानि को पूर्ण रूप से समाप्त करने हेतु यदि अनुदान सहायता की राशि में संपरीक्षकों के द्वारा पाये गये तथ्यों के अनुसार वृद्धि होती है तो राज्य सरकार अतिरिक्त अंशदान उपलब्ध कराएगा, जिससे की पर्याप्त नेटवर्थ एवं न्यूनतम सी.आर.ए.आर. (पूंजी का जोखिम भारित आस्तियों से प्रतिशत) सुनिश्चित करने जो राज्य सहकारी बैंक/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मामले में लायसेंसिंग हेतु आवश्यक है और जो वर्तमान में 4% है उसे विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए 9% तक बढ़ाया जाएगा.

(4) ये संविलियन हेतु वैधानिक एवं प्रशासनिक आवश्यकताएं जैसा कि नाबार्ड द्वारा तत्संबंध में परामर्श दिया जाए, कि राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के अध्यधीन होगा.

(5) डिपाजिट इन्सोरेंस एवं क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के प्रब्याजी की पुनः संगणना एवं संदाय संविलिनीकृत अस्तित्वों द्वारा किया जाएगा.

योजना के क्रियान्वयन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमोदन की शर्तों का अनुपालन किया जाएगा.

10. **शक्तियाँ :**—परिणामी बैंकों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में वह समस्त शक्तियाँ होगी जो संविलियन के ठीक पूर्व विद्यमान प्रभावित बैंकों को थी.

11. **अधिकार, हित एवं कर्त्तव्य :**—परिणामी बैंकों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अधिकार, हित और कर्त्तव्य उसी अनुरूप होंगे जैसा कि संविलियन के ठीक पूर्व विद्यमान प्रभावित बैंकों को थे.

12. **कर्मचारी वृन्द :**—प्रभावित बैंकों के सेवायुक्तों की सेवाएं संबंधित परिणामी बैंकों में अंतरण प्रथमः रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा परंतु अंतिम अंतरण एक वर्ष की अवधि में परिणामी बैंकों से परामर्श करके रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा.

13. **कर्मचारी वृन्द की सेवा की शर्तें :**—

(1) विद्यमान प्रभावित बैंक के प्रभावशील सेवा नियम, परिणामी बैंक में प्रभावित बैंक से अन्तरित कर्मचारी वृन्द के लिए अनन्तिम रूप से आवश्यक उपान्तरणों सहित तब तक लागू रहेंगे जब तक कि परिणामी बैंक के परामर्श से रजिस्ट्रार द्वारा नये सेवा नियम लागू न कर दिये जाए.

(2) प्रभावित बैंक के अंतरित सेवायुक्तों को जिनके पदनाम तथा वेतनमान परिणामी बैंक के सेवायुक्तों के पदनाम तथा वेतनमान के समरूप होंगे ऐसे सेवायुक्तों को परिणामी बैंक में उस बैंक की पदों की संरचना की निर्धारित वरिष्ठता में अंतिम व्यक्ति के ठीक नीचे से वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी. परंतु यह भी कि परिणामी बैंक के स्वीकृत सेटअप से अधिक पदों पर संविलियन के लिए कर्मचारी उपलब्ध होने की दशा में पृथक संवर्ग "डाईंग केडर" के रूप में संविलियन किया जाएगा एवं सेवानिवृत्ति उपरांत अथवा सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उक्त पद स्वमेव समाप्त हो जाएगा.

(3) प्रभावित बैंक के अंतरित सेवायुक्तों को जिनके पदनाम तथा वेतनमान परिणामी बैंक के सेवायुक्तों के पदनाम तथा वेतनमान से भिन्न हो, ऐसे सेवायुक्तों को परिणामी बैंक में पृथक संवर्ग "डाईंग केडर" के रूप में संविलियन किया जाएगा, सेवानिवृत्ति उपरांत अथवा सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उक्त पद स्वमेव समाप्त हो जाएंगे.

(4) प्रभावित बैंक के जिन सेवायुक्तों की उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, ऐसे सेवायुक्तों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना रजिस्टार द्वारा तैयार कर उनके दायित्वों का भुगतान परिणामी बैंक द्वारा किया जाएगा.

(5) प्रभावित बैंक के सेवायुक्तों के विरुद्ध संविलियन के पश्चात् कंडिका 13(1) के अनुसार लागू सेवा नियम के प्रावधान के अनुसार स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही सेवानिवृत्ति एवं सेवा से पृथक करने संबंधी कार्यवाही परिणामी बैंक द्वारा की जाएगी.

(6) प्रभावित बैंक के सेवायुक्तों से परिणामी बैंक द्वारा रजिस्ट्रार के परामर्श से निर्धारित प्रारूप में वचन पत्र निष्पादित कराया जाएगा.

14. **विवाद** :—"दीर्घकालीन सहकारी साख संरचना तथा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के संविलियन की योजना के अधीन संविलियन से संबंधित उत्पन्न किसी विवाद की दशा में उसका निपटारा आपसी सहमति द्वारा किया जा सकेगा, यदि असहमति हो तो ऐसा विवाद निराकरण हेतु रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा, और उभय पक्ष की सुनवाई करके रजिस्ट्रार द्वारा निराकरण किया जाएगा.

15. **अपील** :—रजिस्ट्रार के द्वारा पारित किसी आदेश अथवा किये गये किसी विनिश्चिय के विरुद्ध राज्य शासन को 30 दिन के भीतर अपील की जा सकेगी तथा ऐसी अपील में राज्य शासन का निर्णय/आदेश विनिश्चायक तथा आबद्धकर होगा.

(भुवनेश यादव)
उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.